रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1983/अश्विन 4, 1905
No. 379] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 26, 1983/ASVINA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1983

सा०का०नि० 747(अ).—14 सितम्बर, 1983 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

राज्य पुनर्गठन (राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश 1983

राष्ट्रपति, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य पुनर्गठन (राज्यपाल

भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम राज्य पुनर्गठन (राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1983 है।

2. राज्य पुनर्गठन (राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1957 के पैरा 8 में, उप पैरा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) पैरा 7 में निर्दिष्ट भत्तों और विशेषाधिकारों के अतिरिक्त, राज्य-भवनों को सुसज्जित करने के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान 40,000 रु० की रकम तमिलनाडु राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उसमें से निकाल कर तमिलनाडु के राज्यपाल को दी जाएगी।"

ज़ैल सिंह
भारत के राष्ट्रपति

[3/3/82-एम एण्ड जी]

के० एस० रस्तोगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1983

G.S.R. 747(E).—The following Order made by the President on 14th September, 1983 is published for general information :—

THE STATES REORGANISATION (GOVERNORS' ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT ORDER, 1983.

In exercise of the powers conferred by Section 73 of States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956) the President hereby makes the following Order further to amend the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Order, 1957, namely :—

1. This Order may be called the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Amendment Order, 1983.

2. In paragraph 8 of the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Order, 1957 after sub-paragraph (4) the following sub-paragraph shall be added, namely :—

"(5) In addition to the allowances and privileges referred to in paragraph 7, there shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund of the State of Tamil Nadu to the Governor of Tamil Nadu an amount of Rs. 40,000 during the year 1983-84 for furnishing the Raj Bhavans."

ZAIL SINGH
PRESIDENT OF INDIA

[No. 3|3|82-M&G]

K. S. RASTOGI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983